न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राजस्थान)

अपील संख्या	रजि0 नम्बर	प्रवेश तिथि	निर्णय दिनांक
11/63/2025	2025/298	04.08.2025	23.02.2026

1. श्रीमति कृष्णा देवी पत्नि श्री दुर्गा प्रसाद, जाति स्वर्णकार ।
2. तिलकराज पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति स्वर्णकार जाति स्वर्णकार निवासीयचन ग्राम गुलतान नगर दिवाकरी जिला अलवर

—अपीलाण्ट

बनाम

1. राज० सरकार जरिये तहसीलदार रामगढ जिला अलवर राज०
2. दीनू पुत्र अमरसिंह जाति मेव निवासी हयात का बास बगडमेव तहसील रामगढ जिला अलवर ।
3. आमीन खा पुत्र हुसैन खां जाति मेव निवासी 287 कृष्णा कॉलोनी वार्ड नम्बर 16 अलवर ।
4. ईसरा खां पुत्र श्री अजमत खा जाति मेव निवासी ग्राम ढाढोली पो० बहाला तहसील रामगढ जिला अलवर राज०
5. श्रीमति मनिन्दर कौर पत्नि श्री कुलदीपसिंह जाति ब्राह्मण सिख निवासी ई—27, गुरूनानकपुरा जेल रोड जनकपुरी नई दिल्ली—

—तर० रेस्पोडेन्टस

अपील विरुद्ध तहसीलदार रामगढ़ आदेश विवादित इंतकाल संख्या—567 दिनांक 01.06.2018 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसीली रामगढ जिला अलवर राज0।

उपस्थितः—
01—श्री अशोक —वकील अपी0
02—श्री योगेन्द्र सिंह —वकील रेसपो0

—:निर्णयः—

वकील अपीलाण्ट ने यह अपील विरूद्ध तहसीलदार रामगढ़ के निर्णय दिनांक 01.06.2018 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ स्वीकार किया गया, से व्यथित होकर प्रस्तुत की है। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया एवं अधीनस्थ अदालत का रिकॉर्ड तलब किया गया। उभय पक्ष विद्वान वकील की बहस सुनी गई।

विद्वान वकील अपीलाण्ट ने अपनी बहस में अपील में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ, जिला अलवर द्वारा विवादित इंतकाल बय संख्या—567 दिनांक 01.06.2018 को क्रेतागण रेसपोडेन्ट्रा सं. 2 ला.4 के नाम दर्ज व स्वीकार किया गया था, जो कि मिन अपीलान्टान के पीछे से बिना अपीलान्टान को बुलाये एवं बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया है। जिसकी जानकारी मिन अपीलान्टान को सर्वप्रथम दिनांक 01.09.2018 को हुई जबकि रेसपोडेन्ट्रा ने मिन अपीलान्टान के इंतकालाधीन आराजी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की तथा मिन अपीलान्टान ने ऐतराज किया तो उक्त इंतकाल स्वीकार होने की जानकारी दी जिस पर मिन अपीलान्ट ने उसी दिन नकल हेतु आवेदन किया जो दिनांक 01.09.2018 को ही सायंकाल मुहैया हुई जिस पर मिन अपीलान्टान ने वकील साहब से सलाह मश्वरा किया एवं रूपयों का

जिला कलक्टर
अलवर (राज.)

इंतजाम होने से अपील अविलम्ब अंदर मियाद पेश की जा रही है तथा जो देरी हुई है वह उपरोक्त कारण से हुई है जो नेक नियती पर आधारित है जिस स्थिति में आज्ञा दिनांक 01.06.2018 से जानकारी की तारीख दिनांक 01.09.2018 तक का रागय धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत माफ किया जाना न्याय संगत है कि जिस हेतु अलग से प्रार्थना पत्र पेश किया जा रहा है।

अधिनस्थ न्यायालय को यह भली भांति जानकारी थी कि उपरोक्त बयनागा जरिये मुखत्याराआम द्वारा रेस्पोडेन्ट के हक में फर्जकारी करके निष्पादित कराया गया है जबकि आराजी मुतनाजा की बाबत पूर्व में भी साजबाज होकर एक बयनागा दिनांक 07.10.2014 को कराया जो दिनांक 20.11.2014 को पंजिबद्ध किया गया था वह बयनामा पूर्व में राहूल पुत्र नन्दकिशोर व रामू उर्फ श्रीराम पुत्र प्रभुदयाल उर्फ हरीराम द्वारा निरस्त कराये जा चुके हैं। विवादित इंतकाल जिस बयनामा के आधार पर दर्ज किये गये है उसे निरस्त कराने हेतु मिन अपीलान्टान द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अलवर के समक्ष दिनांक 20.01.2015 को प्रस्तुत किया था, जो वर्तमान में माननीय अपर जिला न्यायाधीश सं. 1 अलवर के समक्ष विचाराधीन है जिस वाद में आगामी तारीख पेशी दिनांक 11.10.2018 की नियत है। उसके बावजूद भी दौराने दावा विवादित इंतकाल स्वीकार किया गया है। इंतकालाधीन आराजी मुतनाजा की बाबत पूर्व से ही राजस्व वाद भी लंबित होने एवं माननीय राजस्व मण्डल अजमेर से स्टे जारी होने के बावजूद भी उक्त बयनामा कराया गया है। कानूनन दौराने मुकदमे इंतकाल की कार्यवाही किया जाना न्याय संगत नही था लेकिन अधिनस्थ न्यायालय द्वारा रेस्पोडेन्ट्स सं. 2ला.4 से साजबाज होकर दर्ज व स्वीकार किया है जो निरस्त किये जाने योग्य है। पूर्व में रेस्पोडेन्ट्स सं.2 ला.4 द्वारा बाला बाला दिनांक 05.12.2014 को उक्त इंतकाल ग्राम पंचायत से दर्ज व स्वीकार कराने हेतु कार्यवाही की थी जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलान्टान द्वारा आराजी मुतनाजा की बाबत मुकदमे विचाराधीन होने के सम्बन्ध में प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर उक्त इंतकाल स्वीकार किया था परन्तु उसे निरस्त करते हुए फरीकेन गैरहाजिर आगामी बैठक में पेश करने हेतु कार्यवाही लंबित की गई। जो कि मौजूदा इंतकाल की पुस्त पर स्पष्ट है। मिन अपीलान्टान अनपढ ग्रामीण है। मिन अपीलान्टान द्वारा कोई मुखत्यारनामा कभी तहरीर नही किया तथा उक्त दस्तावेज फर्जकारी व धोखाधडी से कराया गया जिसे ना तो अपीलान्टान को पढ कर सुनाया और नाही उसे समझाया कि उसमें क्या लिखा है। जिसकी जानकारी होने पर मिन अपीलान्टान ने उक्त मुखत्यारनामा को निरस्त करते हुए नोटिस भी दिनांक 27.01.2014 दिला दिया था, परन्तु मिन अपीलान्टान को असल मुखत्यारनामा वापिस नही दिया और मुखत्यारनामा निरस्त करने के बाद भी उक्त बयनामा कराया है। उपरोक्त समस्त तथ्यो की जानकारी अधिनस्थ न्यायालय को होने के बावजूद भी ना तो मिन अपीलान्टा को सूचित किया ना ही कोई नोटिस जारी किया और नाही कोई सुनवाई का अवसर दिया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त कुल कार्यवाही बालाबाला रेस्पाडेन्ट सं. 2 ला.4 के साजबाज होकर की गई है। आराजी मुतनाजा पर मिन अपीलान्टान का कब्जा मौजूद है तथा मिन अपीलान्टान आराजी मुतनाजा पर काबिज रहकर काश्त करते चले आ रहे है कानूनन बिला कब्जा इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता है परन्तु अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विना कब्जे की जांच किये इंतकाल दर्ज व स्वीकार किया गया है जो खिलाफ मौका होने से निरस्त किये जाने योग्य है।

अतः अपील अपीलान्ट पेश कर निवेदन है कि अपील अपीलान्टान स्वीकार फरमायी जाकर आज्ञा तहसीलदार रामगढ जिला अलवर दिनांक 01.06.2018 बाबत इंतकाल संख्या–567 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ निरस्त फरमाया जावे।

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

विद्वान वकील रेस्पोडेन्ट संख्या 2 ला.4 ने अपील में वर्णित तथ्यों को नकारते हुए कथन किया गया कि रेरपोडेन्ट्रा सं. 2ला4 के पक्ष गें एक बयनागा दिनांक 07.10.2014 को तहरीर किया गया है जो दिनांक 20.11.2014 को तस्दीक फरमाया गया है जो बैयनामा मुख्तयारनामा खास 10.01.2013 अपीलांट कृष्णा देवी पत्नी दुर्गादास एवं तिलकराज पुत्र दुर्गादास द्वारा राहुल पुत्र नंदकिशोर एवं रागू उर्फ श्रीराग पुत्र प्रभूदयाल उर्फ हरिराग निवारी ग्राम कमालपुर तहसील रामगढ जिला अलवर के हक में किया हुआ था, जो मुख्तयारनामा आराजी खसरा नं 1570 रकबा 1.01है० चाही तृतीय गें रो 3/4 हिररा वाके ग्राग नंगला बंजीरका तहसील रामगढ जिला अलवर में स्थित आराजी का था जिस मुख्तयारनामा के आधार पर बैयनाम हुआ और बैयनाग के आधार पर इंतकाल चढाया गया और वर्तमान में इंतकाल रेस्पो० सं 2 ला4 के पक्ष गें है और खातेदार काश्तकार रेरपो. सं. 2 ला4 मौके पर काबिज है। बअनुवान मुकदमा श्रीमती कृष्णा देवी वगैरा बनाम राहुल वगैरा न्यायालय एडीजे सं. 4 में विचाराधीन था जिसमें कृष्णा देवी एवं तिलकराज द्वारा बैयनागा तहरीर दिनांक 07.10.2014 तस्दीक दिनांक 20.11.2014 को अपने अधिकारों के खिलाफ बातिल, बेअसर व शून्य करार दिये जाने का अनुतोष चाहा था, उक्त वादपत्र न्यायालय एडीजे सं.4 द्वारा दिनांक 01.11.2025 को खारिज फरमा दिया गया है। इस तरह बैयनामा को अपीलांट के अधिकारों के विरूद्ध बातिल, बेअसर व शून्य घोषित करने का अनुतोष अपास्त फरमाते हुए दावा खारिज किया गया है। उक्त सभी तथ्यों के आधार पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विधि संवत इंतकाल संख्या–567 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ तस्दीक व स्वीकार किया गया है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने पर मय हर्जा खर्चा खारिज फरमावे।

पंत्रावली का अवलोकन किया गया एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की बहस पर चिन्तन–मनन किया गया तथा पत्रावली में संलग्न दस्तावेजी साक्ष्यों का अध्ययन किया गया। सर्वप्रथम प्रा0पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम पर विचार किया गया। अपीलान्ट्स द्वारा उक्त अपील अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.06.2018 के विरूद्व दिनांक 07.09.2018 को पेश की गयी है जो लगभग 03 माह के विलम्ब से पेश की गई है। माननीय राजस्व मण्डल राज0 अजमेर के द्वारा पारित विभिन्न दृष्टांतों के मद्देनजर नरमी का रूख अपनाते हुए अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपीलांट का मुख्य कथन है कि अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ जिला अलवर द्वारा विवादित इंतकाल बय संख्या–567 दिनांक 01.06.2018 को तस्दीक किया गया है। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को बिना साक्ष्य सुनवाई का अवसर दिये स्वीकार किया गया है। मिन अपीलांट द्वारा कोई मुख्तयारनामा कभी तहरीर नहीं किया गया तथा उक्त दस्तावेज फर्जकारी व धोखाधडी से करा गया है जिसे अपीलांट को न तो पढकर सुनाया गया और न ही अपीलांट को समझाया गया। उपरोक्त मुख्तयारनामा के आधार पर रेस्पोडेंट सं. 2 ला 4 ने आपसी मिलकियत एवं फर्जकारी कर दिनांक 20.11.2014 को बैयनागा पंजीबद्ध किया गया उक्त बैयनामा मुखत्याराआम दिनांक 15.11.2010 के आधार पर राहुल पुत्र नंदकिशोर व रामू उर्फ श्रीराम पुत्र प्रभूदयाल उर्फ हरिराम के द्वारा फर्जकारी व धोखाधड़ी से कराया गया है। विवादित इंतकाल जिस बैयनामा के आधार पर दर्ज किये गये है। बैयनामा निरस्त कराने हेतु मिन अपीलांट द्वारा माननीय जिला न्यायाधीश महोदय अलवर के रामक्ष दिनांक 20.01.2015 को वाद प्रस्तुत किया गया है जो वर्तमान में अपर जिला न्यायाधीश सं.1 अलवर के समक्ष विचाराधीन है। दौराने वाद विवादित इंतकाल स्वीकार नहीं किया जा सकता है। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर रपष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैयनागा दिनांक 20.11.2014 के आधार पर नामांतकरण सं.–567 दिनांक 01.06.2018 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ़ दर्ज व तस्दीक किया गया है। उक्त बैयनागा जरिये मुख्तायारनाग

जिला कलक्टर
अलवर (राज०)

द्वारा राहुल पुत्र नंदकिशोर सैनी निवासी 60 फुट रोड अलवर व श्रीराम पुत्र हरिराम जाति गुर्जर निवासी कमालपुर के द्वारा 3/4 हिस्से का बेचान रेस्पो. सं 2 ला 4 के पक्ष में किया गया है। अपीलांट का कथन है कि एक वाद इश्तकरारहक व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत अपर जिला न्यायाधीश सं 1 के न्यायालय में विचाराधीन है परन्तु उक्त वाद अपर जिला न्यायाधीश सं 4 अलवर बअनुवान कृष्णा देवी बनाम राहुल वगैरा विचाराधीन था जो माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 01.11.2025 को वाद वादी–अपीलांट खारिज किया जा चुका है। उक्त रागी तथ्यों से स्पष्ट है कि अधिनस्थ न्यायालय द्वारा बैय नामातकरण सं.–567 दिनांक 01.06.2018 वाके ग्राम नंगला बंजीरका तहसील रामगढ़ को दर्ज करते समय कोई विधिक त्रुटि नहीं की गई है। फिर भी अपीलान्ट तथाकथित बैयनामा के सम्बन्ध सक्षम न्यायालय में वाद दायर कर अनुतोष प्राप्त करने हेतु स्वतंत्र है। अतः अपील अपीलांट सारहीन होने पर खारिज किये जाने योग्य है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार रामगढ के निर्णय इंतकाल बय संख्या–567 दिनांक 01.06.2018 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को मूल रिकॉर्ड के साथ पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तकमील जमा लेख भण्डार हो।

निर्णय आज दिनांक 23.02.2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर अलवर (राज0)

(डॉ. आर्तिका शुक्ला)
जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)

जिला कलक्टर,
अलवर (राज0)